

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० १/2022

तारीख रजू 03.02.2022

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/५१

उनवान

शिवदई बेबा परभाती जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

--वादी 04

बनाम

दीवान पुत्र परभाती जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

--प्रतिवादी- 03

क्र.सं.	फर्द अहकाम	
2022	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री रामभरोसी गोयल के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनूप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>२१/२०२२ पत्रावली आज मिशल नम्बरी के अनुसार पत्र पेश हुई। वादी व प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने अवगत करवाया कि वादीजन उम्मत की बैठक में शामिल हुयेगा या नहीं वादी ने उम्मत की बैठक में शामिल करवाया है। अतः मु० नं० २१/२०२२ का वा शिवदई बनाम दीवान बैठक में शामिल किया जा रहा है। पत्रावली के माल सुमार होकर नम्बर २ में भेजा है।</p> <p style="text-align: center;">↓ उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>	